राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : स्व.भा.मि.(ग्रा.)/गोबर–धन/ 1484 दिनांक 4/7/18

:–विज्ञप्तिः–

राज्य स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजना में गोबर–धन (GOBAR-DHAN Galvanising Bio-Agro Resoures – Dhan) योजना के अन्तर्गत बायोगैस संयत्र स्थापना एवं तकनीकी सहयोग हेतु परामर्श सेवा प्रदाताओं के रूप में अनुभवी एजेसिंयों का एम पेनलमेंट किए जाने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक एंजेसियों राज्य स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के साथ सहयोग के लिए रूचि की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने हेतु वेबसाईट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र और अनुभव/प्रशंसा पत्र के साथ **23.07.2018** को सांय 4.00 बजे तक प्रस्ताव सीलबंद लिफाफा में ''निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)'' के नाम और दिए गए कार्यालय के पते पर प्रस्तुत करेंगे। रूचि की अभिव्यक्ति का विवरण SPPP/PRD Portal पर भी उपलब्ध हैं। EOI फार्म रु.500/– नगद राशि देकर दिनांक **20.07.2018** तक मिशन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाईन से डाउनलोड फार्म होने पर फार्म का शुल्क डीडी रु.500/– एवं रू. 10000 का डिमांड ड्राफ्ट ''निदेशक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)'' के नाम से EOI के साथ जमा कराना आवश्यक हैं।

''निदेशक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)''किसी भी कारणों को निर्दिष्ट किए बिना रूचि की इस अभिव्यक्ति (EOI) को रद्द या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

गोबर धन योजना के तहत बायोगैस संयंत्र की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए तकनीकी सहायता देने के लिए सेवा प्रदाता के रूप में समेकित एजेंसियों के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) को आमंत्रित किया जाता है।

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान शासन का अभिन्न अंग है। जिसका प्रमुख उद्वेदेश्य ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं गॉवों को खुले में शौचमुक्त कर ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के स्तर को बढाना है।

एजेंसियों का एम्पैनलमेंट

कार्यक्षेत्र:—चयनित/सूचीबद्ध एजेन्सी ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयत्र की स्थापना संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वयं सहायता समूहों निजी संस्थानों, थोंक अपशिष्ट उत्पादक/उद्यम डेयरी, मुर्गी पालन, सूअर पालन आदि ईकाईयों को सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

राज्य स्तर पर सूचीबद्ध किए गए एजेंसी को जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/ग्राम जल एव स्वच्छता समिति बायोगैस की स्थापना में तकनीकी सहयोग हेतु संलग्न कर सकेगा।

निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

पात्रता मापदंण्ड

इच्छुक एजेंसी को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित योग्यता/मापदण्डो को पूरा करना होगाः–

1. एजेन्सी को स्थानीय स्वयं सहायता समूहों, निजी संस्थाओं, थोक अपशिष्ट उत्पादक/उद्देश्य सामुदायिक स्तर बायोगैस संयंत्र की स्थापना संचालन और रखरखाव में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव तथा विशेषता होनी चाहिए तत्ससंबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।
2. एजेंसी के पास वैद्य सेवा कर/वैट/TAN/No/GST No. होना चाहिए(व्यापार सूची में एंजेन्सी शामिल हो) जिसकी छाया प्रति संलग्न की जावे।
3. एंजेसी द्वारा किए गए समान प्रकृति के कार्य जैसे बायोगैस संयत्र की स्थापना संचालन रखरखाव एवं तकनीकी के पूर्ण अनुभव का समर्थन करने वाले दस्तावेज मौजूदा और पिछले ग्राहकों की पूरी तरह से विस्तृत सेवाओं के साथ, सेवाओं की पेशकश सहित समान परियोजनाओं का विवरण अनुबध/कार्य आदेश/समापन/संतोषजनक प्रमाण पत्र की प्रतियां, प्रमुख कर्मचारियों के बायोडेटा और सभी संबंधित विवरणों को सत्यपित करने के लिए अन्य संबधित विवरण मानदण्ड EOI के साथ होना चाहिए। दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं
4. एजेन्सी को आवेदन पत्र के साथ 10,000 रूपये की डीडी (धरोहर राशि के रूप में) "निदेशक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) " के नाम पर संलग्न करना आवश्यक हैं
5. एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकारी के द्वारा होना चाहिये।
6. एजेन्सी का विगत 03 वर्षो का टर्न ओवर 50 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिए।
7. एजेन्सी को कभी भी काली सूचीबद्ध(ब्लैक लिस्ट) न किया गया हो।
8. एजेन्सी के पास वैध टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर होना अनिवार्य हैं।
9. एजेन्सी द्वारा कार्य गुणवत्तापूर्ण न करने एवं नियत समयावधि में पूर्ण न करने या कार्यालय के कार्यादेश के आधार पर कार्य न करने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार मिशन कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

इम्पैनलमैंट एजेंसी का विस्तृत कार्यक्षेत्रः–

1. एजेन्सी साईट पर उपलब्ध अपशिष्ट के मूल्यांकन के आधार पर बायोगैस संयंत्र के आकार, संरचना के निर्धारण एवं स्थाप्ना रखरखाव व्यय निरन्तर निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।
2. तकनीकी एजेन्सी बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए प्रस्ताव/डीपीआर बनाने के लिए उत्तरदायी होगी डीपीआर मे बायोगेस और बायो स्लरी प्रबंधन का पूर्ण विवरण होना चाहिए।
3. बायोगैस संयंत्र के रखरखाव और मरम्मत में सहयोग की जिम्मेदारी तकनीकी एजेन्सी की होगी।
4. बायोगैस संयंत्र के प्रबंधन के प्रशिक्षण हेतु राज्य, जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा बुलाए जाने पर प्रशिक्षक भेजने की जिम्मेदारी तकनीकी एजेन्सी की होगी।
5. बायोगैस संयंत्र के रखरखाव के लिए कर्मचारी की नियुक्ति/प्रशिक्षण की जिम्मेदारी तकनीकी एजेन्सी की होगी।

इम्पैनलमैंट एजेंसी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण :–

गोबर–धन योजना के अन्तर्गत चयनित तकनीकी एजेंसी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता निम्नानुसार है।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

गोबर–धन योजना क्रियान्वयन हेतु चार प्रकार के मॉडल प्रस्तावित हैः–

क्र. सं.	मॉडल का प्रकार	बायोगैस संयंत्र स्थापना हेतु अधिकतम प्रोत्साहन राशि	तकनीकी एजेंसी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता
1	ग्राम पंचायत स्तर	150 घरों के लिए 3.5 लाख 150 से 300 घरों के लिए 6 लाख 300 से 500 घरों के लिए 7.5 लाख 500 से अधिक घरों के लिए 10 लाख (100 प्रतिशत बायोगैस संयंत्र की निर्माण लागत का)	बायोगैस संयंत्र की निर्माण लागत की 20 प्रतिशत राशि
2	स्व. सहायता समूह	150 घरों के लिए 3.5 150 से 300 घरों के लिए 6 लाख 300 से 500 घरों के लिए 7.5 लाख 500 से अधिक घरों के लिए 10 लाख (75 प्रतिशत बायोगैस संयंत्र की निर्माण लागत का)	बायोगैस संयंत्र की निर्माण लागत का 75 प्रतिशत राशि का 20 प्रतिशत राशि
3	थोक उत्पादक / उग्रमी	150 घरों के लिए 2.8 लाख 150 से 300 घरों के लिए 4.8 लाख 300 से 500 घरों के लिए 06 लाख 500 से अधिक घरों के लिए 08 लाख (50 प्रतिशत बायोगैस संयंत्र की निर्माण लागत का)	बायोगैस संयंत्र की निर्माण लागत का 50 प्रतिशत राशि का 20 प्रतिशत राशि
4	बडे उद्यम	कोई प्रोत्साहन राशि नहीं	

अन्य शर्तेः–

1. EOI निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार की जावेगी।
2. EOI निर्धारित तिथि व समय में ही स्वीकार की जावेगी।
3. EOI कर्ता के फर्म के नाम से GST एवं श्रम विभाग में पंजीयन आवश्यक हैं।
4. EOI कर्ता को फर्म रजिस्ट्रेशन डाक्यूमेंट टैक्स चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. EOI फर्म को सीए द्वारा जारी विगत 3 वर्ष का ऑडिट रिपोर्ट बैलेंससीट, इनकम टैक्स रिसिप्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगा कि यह योग्यता मानदंड और अन्य आवश्यक शर्तो को पूरा कर रहा है।
7. EOI एजेंसी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा भरी जानी आवश्यक है। एंजेसी द्वारा उक्त व्यक्ति की टेंडर डालने / कागजी कार्यवाही करने से संबधित अधिकार का प्रमाण पत्र के EOI साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। EOI सभी पृष्ठों पर एजेसी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य हैं उक्त शर्त के पूर्ण न करने पर राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को EOI को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
8. बायोगैस संयत्र स्थापना के क्षेत्र में अनुभव के मूल्यांकन हेतु संलग्न / परिशिष्ठ– I.II.III.IV अनुसार तकनीकी प्रस्ताव संलग्न करना अनिवार्य है।

जमा करने की तिथिः—

प्रमाण पत्र और अन्य विवरणों की जमा करने की अन्तिम तिथि 11.07.2018 सायं 4.00 बजे तक (केवल हार्डकॉपी) ''निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), चौपाल विश्रान्ति गृह, रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर राजस्थान'' के कार्यालय मे जमा कर सकते है. ई–मेल से कोई भी EOI स्वीकार नहीं होगी।

राजस्थान सरकार
निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

अनुलंग्न–I

प्रस्तुति पत्र

(एजेन्सी के लैटर हैड पर एजेन्सी प्रमुख का पूर्ण डाक पता टेलीफोन एवं ई–मेल सहित होना चाहिए।)

संदर्भ संख्या .... दिनांक.......................

सेवामें,

निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीग),
चौपाल विश्रान्ति गृह, रेल्व स्टेशन के पास,
जयपुर राजस्थान।

महोदय,

उपरोक्त परियोजना के लिए EOI दस्तावेज में दिए गए विवरणों की जांच और समझने के बाद, हम इस प्रकार EOI को सेवा प्रदाताओं के रूप में सूचीबद्ध एजेसियों के लिए EOI पर विचार करने के लिए संबधित जानकारी जमा करते है। हम यह भी प्रमाणित करते है कि संलग्न जानकारी और कथन सत्य और सही है।

(A)हमनें EOI के संबंध में आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त कर विवरण प्रस्तुत किए है।

(B)हम अपनी क्षमता और सामान्य प्रतिष्ठा को सत्यापित करने एवं नियोक्ताओं और संस्थाओं से संपर्क करने के लिए निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को भी अधिकृत करते है।

(A)हम घोषणा करते है कि इस EOI दस्तावेजों के सभी प्रावधान हमें स्वीकार्य है। हम यह भी घोषणा करते है कि देश के किसी भी सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन/द्वारा हमें ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
कंपनी की मुहर
जमा करने की तिथि

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

अनुलग्नक–II

एजेन्सी / कंपनी की सामान्य जानकारी

1	एंजेन्सी का नाम और पता	
2	अधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम	
3	फोन नंबर / मोबाईल नंबर / फैक्स नंबर	
4	ई–मेल आईडी	
5	संगठन के प्रमुख का नाम	
6	ई–मेल आईडी	
7	टेलीफोन	
8	कर्मचारी की कुल संख्या	
9	संगठन का प्रकार(सार्वजनिक क्षेत्र / सीमित / निजी सीमित / साझेदारी / स्वामित्व / सोसायटी / कोई अन्य	
10	कार्यालयों / केन्द्रों की संख्या (सूची संलग्न करें।)	
11	एंजेन्सी का प्रस्ताव संख्या और तिथि	
12	एजेंसी के पंजीयन का वर्ष (पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बायलॉज संलग्न करें)	
13	एजेंसी का GST No.(प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
14	एजेंसी का वाणिज्य कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
15	एजेंसी का इन्कम टैक्स चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
16	एजेंसी का विगत 3 वर्षो का प्रतिवर्ष टर्न ओवर (ऑडिट रिपोर्ट	
17	एजेन्सी द्वारा पूर्व में सरकार से बायागैस संयत्र स्थापित किये गये कार्यो का पूर्णता प्रमाण पत्र। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
18	क्या एजेन्सी को बायोगैस संयत्रं स्थापित करने का अनुभव है। (कार्यादेश की प्रति संलग्न करें)	
19	क्या फर्म का पंजीयन / रजिस्ट्रेशन फर्म के नाम से है अथवा नहीं / जैसे GST No. / सर्विस टैक्स न आदि	
20	क्या एजेन्सी को कभी भी काली सूची (ब्लॉक लिस्ट) किया गया है (स्व घोषणा प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
21	स्थानीय प्रतिनिधि का नाम व पता व मोबाईल नंबर	

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

अनुलंग्नक–II

एजेन्सी का नामः–

एजेन्सी द्वारा किए गए समान प्रकृति जैसे बायोगैस संयंत्र की स्थापना संचालन, रखरखाव व तकनीकी सहायता देने के कार्यो और सेवाओं का विवरण(जो योग्यता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है):–

क्र. सं.	एजेन्सी	कार्य का विवरण	काम का मूल्य	अवधि		काम सीधे या उप ठेकेदार के माध्यम से किया गया है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5		6	7
				से	तक		

नोटः–उपरोक्त वर्णित कार्य के समर्थन में परफार्मेंस प्रमाणपत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र/संतुष्टि प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी संलग्न किया जाना अनिवार्य है। (एजेन्सी जहां भी आवश्यक हो, पर अलग पृष्ठ का उपयोग कर सकता है।)

एजेन्सी के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

एजेन्सी की मुहर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

अनुलग्नक–II

एजेन्सी का नामः–

पूर्व में किए गए समान प्रकृति के कार्यो जैसे बायोगैस संयत्र की स्थापना संचालन, रखरखाव व तकनीकी सहायता देने हेतु सेवा प्रदाता के रूप में सकेकित ऐजेसियों के कार्यो के मूल्य का विवरणः–

क्र स	कार्य देने वाली एजेन्सी के सम्पर्क विवरण के साथ प्रभारी का नाम पता	कार्य का विवरण	अनुबंध का मूल्य (रू.में)	बायो गैस संयत्र का आकार	कार्य शुरू करने की तारीख	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा एवं वास्तविक अवधि	वर्तमान में स्थिति	पूर्ण होने की अपेक्षित तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ऐंजेसी के प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर एवं मुहर